न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली

फौजदारी सत्र वाद सं0–2256/2019

राज्य बनाम हिमांशु शर्मा एवं अन्य
अन्तर्गत धारा 363,302,201 भा0दं0सं0
व धारा 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–इज्जतनगर, जिला–बरेली
मु0अ0सं0–**281/2018**

12.05.2022

पुकारा गया।

पुकार पर अभियुक्तगण किशन एवं हिमांशु शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार बरेली से तलब होकर उपस्थित।

अभियोजन अधिकारी श्री अवधेश कुमार गुप्ता उपस्थित।

अभियुक्त हिमांशु शर्मा की तरफ से प्रस्तुत आवेदन कागज सं0–9ख पर उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त हिमांशु शर्मा की तरफ से श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी नेमचन्द्र द्वारा आवेदन कागज सं0–9ख मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामले में थाना पुलिस द्वारा प्रार्थी हिमांशु शर्मा को अभियुक्त बनाया गया है और आरोप पत्र भी न्यायालय में वर्ष 2019 में प्रेषित किया गया। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में संज्ञान लिया गया और वर्तमान समय में न्यायालय द्वारा विचारण भी किया जा रहा है। जब घटना घटित हुई थी तो वादी मुकदमा ने इसकी सूचना थाने पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज करायी थी, दौराने विवेचना थाना पुलिस ने प्रार्थी का नाम प्रकाश में आया और शक के आधार पर प्रार्थी को मुल्जिम बनाया था उस समय प्रार्थी हिमांशु शर्मा की उम्र 16 वर्ष अर्थात् 18 वर्ष से कम थी और वह नाबालिग था और देखने में भी किशोर लग रहा था जिस कारण आज भी प्रार्थी हिमांशु शर्मा को जेल प्रशासन द्वारा बच्चा बैरक में रखा जा रहा है, थाना पुलिस ने आयु के सम्बंध में प्रार्थी का चिकित्सीय परीक्षण न कराकर केवल कक्षा–5 की टी0सी0 में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही बालिग मान लिया, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष कुछ माह हो रही है। प्रार्थी की मॉ व पिता अनपढ़ है और अपने पुत्र का विद्यालय में प्रवेश कराते समय उसकी आयु मौखिक रूप से दर्ज करायी थी। विद्यालय में प्रवेश कराते समय अपने पुत्र की आयु के सम्बंध में कोई प्रपत्र नहीं दिया था जिसकी पुष्टि विद्यालय से प्राप्त की गयी सूचना से भी होती है। विद्यालय से प्राप्त सूचना के पैरा–2 व 3 में स्पष्ट लिखा है कि प्रवेश के समय हिमांशु शर्मा की आयु के सम्बंध में मौखिक रूप से जो जानकारी दी गयी उसी के अनुसार उसकी जन्म तिथि अंकित की गयी थी। आवेदन में निवेदन

किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उक्त मामले में प्रार्थी हिमांशु शर्मा की वास्तविक आयु हेतु उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाने की कृपा करें।

अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया है तथा तर्क व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त हिमांशु शर्मा की आयु का निर्धारण दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त प्रथम विद्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त हिमांशु शर्मा घटना की तिथि पर बालिग पाते हुए पर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त हिमांशु शर्मा विरूद्ध सह अभियुक्त किशन के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्त हिमांशु शर्मा की ओर श्रीमती कुन्ती देवी द्वारा प्रस्तुत आवेदन बलहीन है। आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदन के साथ प्रधान अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय अहिलादपुर विकाास खण्ड बिथरीचैनपुर जनपद बरेली की आख्या संलग्न की गयी है। उक्त आख्या सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 व 6 के अन्तर्गत प्राप्त की गयी है, जिसमें प्रधान अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय अहिलादपुर विकास खण्ड बिथरीचैनपुर जनपद बरेली ने निम्न सूचना दी :–

1. यह कि हिमांशु शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय अहिलादपुर में रिकार्ड के अनुसार कक्षा–1 से 5 तक शिक्षा 03.08.2006 से 01.07.2011 तक प्राप्त की, रिकार्ड में हिमांशु शर्मा की जन्म तिथि 03.08.2000 अंकित है।
2. यह कि विद्यालय में प्रवेश के समय हिमांशु शर्मा की आयु के सम्बंध में उसके संरक्षक द्वारा रिकार्ड के अनुसार कोई प्रपत्र नहीं दिया गया।
3. यह कि हिमांशु शर्मा के प्रवेश के समय संरक्षक द्वारा जन्म तिथि के सम्बंध में मौखिक रूप से जो जानकारी दी गयी, रिकार्ड में वही दर्ज है, उपलब्ध रिकार्ड एवं टी0सी0 की छाया प्रति साथ में संलग्न है।
4. यह कि हिमांशु शर्मा का शिक्षा ग्रहण करने समय विद्यालय रिकार्ड के अनुसार अच्छा था।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त हिमांशु शर्मा जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है। दिनांक 22.05.2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। दिनांक 05.09.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया तथा आरोप विरचन के उपरान्त अभियोजन की तरफ से 06 साक्षी परीक्षित कराये जाने के उपरान्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 94 में बालको की उम्र को अभिनिर्धारित किये जाने के सम्बंध में उपबन्ध है।

(अ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा–1 के अनुसार :–

जहॉ बोर्ड या समिति को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाये गये किसी व्यक्ति की प्रतीति के आधार पर यह स्पष्ट होता है

कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथा सम्भव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे सम्प्रेक्षण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किये बिना, यथास्थिति धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा।

(ब) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा–2 के अनुसार :–

यदि समिति या बोर्ड के पास इस सम्बंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रकिया का जिम्मा लेगा।

ए– विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या सम्बंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो, और उसके अभााव में,

बी– निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र,

सी– और केवल उपरोक्त ''ए'' और ''बी'' के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जायेगा,

परन्तु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी की जायेगी।

आवेदन में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि थाना पुलिस ने आयु के सम्बंध में प्रार्थी का चिकित्सीय परीक्षण न कराकर केवल कक्षा–5 की टी0सी0 में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही बालिग मान लिया, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष कुछ माह हो रही है।

कागज सं0–9ख के साथ संलग्न प्रधान अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय अहिलादपुर विकास खण्ड बिथरीचैनपुर जनपद बरेली की सूचना में यह तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हिमांशु शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय अहिलादपुर में रिकार्ड के अनुसार कक्षा–1 से 5 तक शिक्षा 03.08.2006 से 01.07.2011 तक प्राप्त की, रिकार्ड में हिमांशु शर्मा की जन्म तिथि 03.08.2000 अंकित है। इस प्रकार प्रथम दाखिला स्कूल में अभियुक्त हिमांशु शर्मा की जन्म तिथि 03.08.2000 अंकित है, जिसके अनुसार वह घटना दिनांक 09.04.2019 को 18 वर्ष से अधिक आयु का है। प्रथम दाखिला स्कूल में अभियुक्त हिमांशु शर्मा की जन्म तिथि वर्णित होने के कारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा 1 व 2 को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त हिमांशु शर्मा की आयु के सम्बंध में चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अभियुक्त हिमांशु शर्मा की ओर से प्रस्तुत आवेदन कागज सं0–9ख निरस्त किया जाता है।

अभियोजन को आदेशित किया जाता है कि अपने अन्य साक्षियों को परीक्षित कराये जाने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करे।

मामले में साक्षी मनोज कुमार पाण्डेय पी0डब्लू0–6 जिनकी जिरह जारी है व साक्षी डा0 रामगोपाल चन्द्र वर्मा जरिये समन तलब हो। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक **26.05.2022** को पेश हो। नियत तिथि को अभियुक्तगण जेल से तलब हो।

(सत्यदेव गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली